न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट

मु0अ0सं0–411/2015
धारा–448,504,506 भा0द0सं0
थाना कर्वी, जिला चित्रकूट

19.04.2019

आवेदगण/अभियुक्तगण श्रीमती माया देवी व श्रीमती लीलावती द्वारा मु0अ0सं0–411/2015 अतर्गत धारा 448,504,506 भा0द0सं0 थाना कर्वी, जिला चित्रकूट में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर तर्क प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि उन्होने कोई अपराध नहीं किया, उन्हें फर्जी फंसाया गया है। उपरोक्त तथ्यों पर जमानत की याचना की गई है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गई।

पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध बाद विवेचना आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अतएव मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में जमानत आधार पर्याप्त पाया जाता है।

आदेश

आवेदगण/अभियुक्तगण श्रीमती माया देवी व श्रीमती लीलावती द्वारा मु0अ0सं0–411/2015 अतर्गत धारा 448,504,506 भा0द0सं0 थाना कर्वी, जिला चित्रकूट में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/ अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु0–20,000–20000/–रू0 का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो–दो जमानतें दाखिल किए जाने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

सी0जे0एम0
चित्रकूट।